न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 193/2017

–:: वादीया ::–

1. नेमादेवी पुत्री देवाराम जाति–माली, निवासी–रास, तहसील–जैतारण, जिला–पाली (राज.)

बनाम

–:: प्रतिवादी ::–

1. तहसीलदार तहसील जैतारण जिला पाली (राज.)

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.12/10/2017

उपस्थित:. 1. श्री भाकरसिंह, अधिवक्ता, वादी।

–:: निर्णय ::– दिनॉक:– 21/06/2018

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रति. के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा–रास पटवार हल्का रास प्रथम तहसील जैतारण जिला पाली (राज.) निम्नलिखित भूमिया वादियां व अन्य सहखातेदार की संयुक्त कब्जे काश्त की भूमियां चली आ रही है खाता संख्या 430 खसरा नम्बर 41 रकबा 34–16 बीघा किस्म चा.दो., खसरा नम्बर 70 रकबा 00–11 बीघा किस्म गै.मु.बेरा, खसरा नम्बर 71 रकबा 17–00 बीघा किस्म चा.सो., खसरा नम्बर 91 रकबा 05–18 बीघा किस्म चा.सो., खसरा नम्बर 92 रकबा 04–06 बीघा किस्म चा.सो.,खसरा नम्बर 501 रकबा 00–08 बीघा किस्म गै.मु.बेरा, खसरा नम्बर 502 रकबा 00–14 बीघा किस्म चा.दो., खसरा नम्बर 503 रकबा 06–14 बीघा किस्म चा.दो.,खसरा नम्बर 503/1 रकबा 01–04 बीघा किस्म चा.दो.,खसरा नम्बर 505/1 रकबा 07–17 बीघा किस्म चा.दो.,खसरा नम्बर 527 रकबा 02–01 बीघा किस्म गे.मु.बेरा, खसरा नम्बर 528 रकबा 00–01 बीघा किस्म चा.दो., खसरा नम्बर 529 रकबा 02–02 बीघा किस्म चा.दो.,खसरा नम्बर 529 रकबा 02–02 बीघा किस्म चा.दो., खसरा नम्बर 530 रकबा 00–17 बीघा किस्म चा.दो., खसरा नम्बर 531 रकबा 02–09 बीघा किस्म चा.दो. कुल खसरा नम्बर 15 कुल रकबा 86–18 बीघा, खाता संख्या 275 खसरा नम्बर 801/3 रकबा 60–00 बीघा किस्म बा.दो., खाता संख्या 187 खसरा नम्बर 38/1 रकबा 18–10 बीघा किस्म बा.अ., खसरा नम्बर 327 रकबा 05–15 बीघा किस्म बा.अ.,खसरा नम्बर 331 रकबा 05–14 बीघा किस्म बा.अ., खसरा नम्बर 542 रकबा 16–18 बीघा किस्म बा.अ. कुल खसरा नम्बर 4 रकबा 46–17 बीघा, खाता संख्या 272 खसरा नम्बर 86 रकबा 00–03 बीघा किस्म गे.मु.बेरा, खसरा नम्बर 88 रकबा 22–04 बीघा किस्म चा.सो., खसरा नम्बर 89 रकबा 05–00 बीघा किस्म चा.सो. कुल खसरा 3 कुल रकबा 27–07 बीघा उपरोक्त भूमियां संयुक्त खातेदारी भूमियां है जिसमें वादीया का भी हक हिस्सा चला आ रहा है तथा वादीया अपने हक हिस्से की भूमि में शांतिपूर्वक बे रोकटोक उपयोग उपभोग एवं काश्त करती चली आ रही है। वादपत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीया का नाम मेमली पुत्री देवाराम अंकित हो रखा है जो गलत है जबकि वादीया का सही व वास्तविक नाम नेमादेवी पुत्री देवाराम है वादीया को अपने गलत मेमली की जानकारी राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त करने पर हुई जबकि वादीया के आधार कार्ड, चुनाव पहचान पत्र, राशनकार्ड, बैंक पास बुक इत्यादि में नाम वादीया का सही एवं वास्तविक नाम नेमादेवी है जो वादपत्र

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

के समर्थन में पेश है। मेमली पुत्री देवाराम व नेमादेवी पुत्री देवाराम दोनों नाम वादीया के ही नाम है लेकिन वादीया का सही व वास्तविक नाम नेमादेवी है तथा वादीया अपने अन्य सरकारी एवं अर्द्धसरकारी दस्तावेज के आधार पर राजस्व रेकर्ड में भी अपने नाम मेमली के स्थान पर नेमादेवी पुत्री देवाराम दर्ज किये जाने की घोषणा करवाने की कानूनी रूप से अधिकारी है। राजस्व रेकर्ड के अलावा वादीया के अन्य समस्त दस्तावेजों में वादीया का नाम नेमादेवी है राजस्व रेकर्ड में वादीया का नाम मेमली पुत्री देवाराम तथा अन्य समस्त रेकर्ड में नाम नेमादेवी नाम होने के कारण वादीया को वर्तमान में काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है तथा भविष्य में भी काफी परेशानियों का सामना करना पडेगा। उपरोक्त कारण से वादीया राजस्व रेकर्ड में अपना नाम मेमली पुत्री देवाराम के स्थान पर समस्त दस्तावेजी रेकर्ड अनुसार नेमादेवी पुत्री देवाराम नाम राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज करवाना चाहती है जिसकी घोषणा किया जाना न्यायोचित है। उपरोक्त नाम दुरूस्ती बाबत् अन्य सह खातेदार को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही है एवं उक्त नाम दुरूस्ती बाबत् सह खातेदारान को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही है एवं उक्त नाम दुरूस्ती बाबत सहखातेदारान के बीच किसी प्रकार का विवाद नहीं है न हि वादीया ने अन्य सह खातेदारान के विरूद्ध इस वादपत्र में किसी प्रकार का अनुतोष चाहा है इसलिये सहखातेदारान को इस वादपत्र में पक्षकारान नही बनाया गया है। वाद कारण दिनांक 07/06/2017 को बमुकाम ग्राम रास में उत्पन्न हुआ जब वादीया बैंक से ऋण लेने हेतु अपनी उक्त खसरा नम्बरान की भूमियों की नकल लेने पटवार कार्यालय में उपस्थित हुई तब वादीया की जानकारी में आया की वादीया के हक हिस्से की उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीया का नाम मेमली है व वादीया के अन्य दस्तावेजात में नेमादेवी नाम दर्ज है वादीया ने अपने राजस्व रेकर्ड की नकले बैक में भी पेश की वहां पर भी बैंक मैनेजर द्वारा वादीया को यही कहा की पहले आप अपने राजस्व रेकर्ड में नाम को दुरूस्त व सही कराओ उसके उपरान्त ही आपको ऋण दिया जा सकेगा वाद कारण उत्पन्न हुआ तथा दिन प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है। उपरोक्त वर्णित भूमियां रास तहसील जैतारण में स्थित होने के कारण माननीय न्यायालय को वाद पत्र को सुनने का क्षैत्राधिकार प्राप्त है।

वादीया का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–पाटवा में पेश हुई। मजमा–ए–आम में जानकारी प्राप्त की गई। मजमा–ए–आम में पटवारी हल्का मय सरपंच ग्राम पंचायत रास से वस्तुस्थिति की फर्द मौका रिपोर्ट प्राप्त की। फर्द मौका रिपोर्ट में जाहिर किया कि मजमें–ए–आम में जांच करने पर बताया कि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी ग्राम रास I के खसरा नम्बर 38/1,327, 331, 542, 86 में प्रार्थीया का नाम नेमादेवी का नाम मेमली पुत्री देवाराम दर्ज हैं। वादीया सही नाम नेमादेवी हैं। उक्त संबंध में आम ग्रामवासियों से पुछताछ करने पर वादीया का सही नाम नेमादेवी बताया। मेमली पुत्री देवाराम तथा नेमादेवी पुत्री देवाराम एक ही महिला के नाम हैं। नेमादेवी की अन्य कोई महिला इस गांव में निवास नहीं करती हैं। वादीया का राजस्व रेकर्ड में नाम मेमली दर्ज है जो गलत हैं। उक्त खसरा नम्बरान में दर्ज नाम मेमली पुत्री देवाराम के स्थान पर सही नाम नेमादेवी पुत्री देवाराम दर्ज किया जाना उचित हैं। फर्द मौका रिपोर्ट सा0मि0 हो।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। मजमा–ए–आम में भी उक्त संबंध में जानकारी ली गई। तथापि मेमली पुत्री देवाराम तथा नेमादेवी पुत्री देवाराम एक ही महिला के नाम हैं। नेमादेवी की अन्य कोई महिला इस गांव में निवास नहीं करती हैं। वस्तुतः

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

वाद-पत्र के साथ साक्ष्य दस्तावेज यथा राशन कार्ड 009044600577, आधार कार्ड 504072042372 इत्यादि में भी प्रार्थीया का नाम नेमादेवी दर्ज हैं। राजस्व अभिलेख ग्राम रास I के खसरा नम्बर 38/1,327, 331, 542, 86 में गलत रुप से मेमली पुत्री देवाराम दर्ज नाम के स्थान पर नेमादेवी पुत्री देवाराम दुरुस्त किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः वादीया का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-रास पटवार हल्का रास प्रथम तहसील जैतारण जिला पाली (राज.) निम्नलिखित भूमिया वादियां व अन्य सहखातेदार की संयुक्त कब्जे काश्त की खाता संख्या 187 खसरा नम्बर 38/1 रकबा 18-10 बीघा किस्म बा.अ., खसरा नम्बर 327 रकबा 05-15 बीघा किस्म बा.अ.,खसरा नम्बर 331 रकबा 05-14 बीघा किस्म बा.अ., खसरा नम्बर 542 रकबा 16-18 बीघा किस्म बा.अ. कुल खसरा नम्बर 4 रकबा 46-17 बीघा, खाता संख्या 272 खसरा नम्बर 86 रकबा 00-03 बीघा किस्म गै.मु.बेरा, भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादीया का गलत दर्ज नाम मेमली पुत्री देवाराम के स्थान पर वास्तविक एवं सही नाम नेमादेवी पुत्री देवाराम दुरुस्त किये जाने की घोषणा की जाती हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 21/06/2018 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-रास पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

प्राथमिक डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

बईजलास :– श्री मोहनलाल खट्नावलिया, आर0ए0एस0

–:: वादीया ::–

1. नेमादेवी पुत्री देवाराम
जाति–माली, निवासी–रास,
तहसील–जैतारण, जिला–पाली
(राज.)

बनाम

–:: प्रतिवादी ::–

1. तहसीलदार तहसील जैतारण
जिला पाली (राज.)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 मु0न0 :रा0वा0स0:193/2017

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री भाकरसिंह भाटी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीया का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–रास पटवार हल्का रास प्रथम तहसील जैतारण जिला पाली (राज.) निम्नलिखित भूमिया वादियां व अन्य सहखातेदार की संयुक्त कब्जे काश्त की खाता संख्या 187 खसरा नम्बर 38/1 रकबा 18–10 बीघा किस्म बा.अ., खसरा नम्बर 327 रकबा 05–15 बीघा किस्म बा.अ.,खसरा नम्बर 331 रकबा 05–14 बीघा किस्म बा.अ., खसरा नम्बर 542 रकबा 16–18 बीघा किस्म बा.अ. कुल खसरा नम्बर 4 रकबा 46–17 बीघा, खाता संख्या 272 खसरा नम्बर 86 रकबा 00–03 बीघा किस्म गे.मु.बेरा, भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादीया का गलत दर्ज नाम मेमली पुत्री देवाराम के स्थान पर वास्तविक एवं सही नाम नेमादेवी पुत्री देवाराम दुरूस्त किये जाने की घोषणा की जाती हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 21/06/2018 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

मुद्धई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	03-00	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	02-50	महनताना वकील	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	03-00	फीस कमीशनर	
फीस कमीशनर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	=	मुत्फरिक	
मिजानः–	09-00	मिजानः–	

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।